

2021/1599 ✓

पृष्ठ 2


खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र
(राज्य भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उपर्युक्त अधिकारी महोदय,
शाहपुरा
विषय- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

प्रशासन गौरी के र/प
तारीख-2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम खशिमानपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2078 से 79 के खाता संख्या 395 में स्वयं नाम मोहम्मद मुजिबुल्लाह के नाम पर जमाबन्दी दर्ज है। जबकि वास्तविक मालिक मोहम्मद मुजिबुल्लाह के बजाय मोहम्मद अजिजुल्लाह के नाम पर जमाबन्दी दर्ज है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश करवाने की कृपा करें।


प्रार्थी


दिनांक- 05/12/21

रिपोर्ट-पटवारी एवं भूअनि.


दयजी,

निवेदन है कि ग्राम खशिमानपुरा में राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2078 से 79 के खाता संख्या 395 में प्रार्थी का नाम मोहम्मद मुजिबुल्लाह दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न 2021 व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम मोहम्मद अजिजुल्लाह है जो संशोधित किया जा उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।



पटवारी
06/12/21

भूअनि०


11/12/21

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा०भू०राज० अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिपोर्ट पटवारी खशिमानपुरा व भूअनि० खशिमानपुरा एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर खशिमानपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2078 से 79 की खाता संख्या 395 में प्रार्थी का नाम मोहम्मद अजिजुल्लाह के बजाय मोहम्मद मुजिबुल्लाह किये जाने हेतु अनिश्चय की जाती है।



तहसीलदार/नायब तहसीलदार
शाहपुरा (भीलवाड़ा)


1599/31

पत्र- 13/12/21

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम खशिमानपुरा जमाबन्दी सम्वत् 2078 से 79 खाता संख्या 395 में दर्ज प्रार्थी का नाम मोहम्मद अजिजुल्लाह के स्थान पर मोहम्मद मुजिबुल्लाह संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।




प्रशासनिक अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)